संख्या–5 / बजट 1–07 / 2015 सा0–......74......

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई–मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, मुंगेर, भागलपुर, कैमूर, सिवान एवं भोजपुर।

पटना, दिनांक– 3.3. 2016

विषयः– बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षो में वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय के लिये कुल ₹ 3,33,20,000/– (तीन करोड़ तेतीस लाख बीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षो में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय के लिये कुल ₹ 3,33,20,000/– (तीन करोड़ तेतीस लाख बीस हजार रूपये) मात्र राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

कृ0पृ0उ0

11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

संख्या–5/बजट 1–07/2015 सा0–.....................

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई–मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, मुंगेर, भागलपुर, कैमूर, सिवान एवं भोजपुर।

पटना, दिनांक– 2016

विषयः– बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय के लिये कुल ₹ 3,33,20,000/– (तीन करोड़ तेतीस लाख बीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय के लिये कुल ₹ 3,33,20,000/– (तीन करोड़ तेतीस लाख बीस हजार रूपये) मात्र राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

क्र0पृ0उ0

11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या–5/बजट 1–07/2015 सा0–74/ पटना, दिनांक– 3.3./2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3
सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय के लिए बजट मुख्य शीर्ष 2053 जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएँ–0001–जिला प्रशासन, गैर योजना बजट (विपत्र कोड N2053000930001) का आवंटन

क्र0 सं0	जिला का नाम	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एंव रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	किराया एवं महसूल कर	सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	वर्दी एवं पोशाक	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	आतिथ्य व्यय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10
1	पटना	-	1,00,00,000	40,00,000	5,00,000	15,00,000	5,00,000	4,00,000	2,00,000	5,00,000	15,00,000	**1,91,00,000**
2	मुंगेर	1,00,000	4,00,000	5,00,000	1,00,000	10,00,000	50,000	2,00,000	1,00,000	3,00,000	1,00,000	**28,50,000**
3	भागलपुर	2,00,000	5,00,000	6,00,000	2,00,000	5,00,000	-	2,00,000	1,00,000	9,00,000	-	**32,00,000**
4	कैमूर	1,00,000	3,00,000	2,00,000	20,000	50,000	-	50,000	-	9,00,000	1,00,000	**17,20,000**
5	सिवान	1,00,000	5,00,000	3,00,000	50,000	2,00,000	1,00,000	1,00,000	50,000	10,00,000	1,00,000	**25,00,000**
6	भोजपुर	1,00,000	8,00,000	3,00,000	2,00,000	3,00,000	3,00,000	1,00,000	50,000	18,00,000	-	**39,50,000**
	कुल योग –	**6,00,000**	**1,25,00,000**	**59,00,000**	**10,70,000**	**35,50,000**	**9,50,000**	**10,50,000**	**5,00,000**	**54,00,000**	**18,00,000**	**3,33,20,000**

(तीन करोड़ तेतीस लाख बीस हजार रूप्ये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग